फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : पृथ्वीराज **बनाम** हरभजराम आदि

किस्म मुकदमा : प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्र.सं. 181 सन्. 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्ज जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
२६.02.2024	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.ए.के साथ प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हुई प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्य को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के दादा मनफुल पुत्र धोंकलराम के नाम से 15 ए.ए.ए. के अर्न्तगत खातेदारी भूमि थी जो उनके फौत हो जाने के उपरान्त विरासतन में अप्रार्थी नं. 01 यानि हमारे पिता हरभजराम को चक 10 एफ.डी.एम. के खाता नं. 129 के पत्थर नं. 117/352 के किला नं. 9/2 में 0.158 है0, 10 में 0.253 है0, 11/1 में 0.063 है0, 12 ता 15 में 1.012 है0 इस प्रकार कुल 1.486 है0 खातेदारी भूमि प्राप्त हुई जिनमे हम हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम व परिवार के रिति रिवाजों के मुताबिक पिता के जीवनकाल में जायज वारिसानों की हैसियत से हम प्रार्थीगण का 4/7 हिस्सा कानूनी बनता है व इसी अनुसार हमारा कब्जा काश्त है। इसलिये प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए श्रीमान जी की अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2024 को वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि जैर प्रार्थनापत्र भूमि को रहन बेचान व मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। अप्रार्थी नं. 01 ने जवाब में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रार्थनापत्र रकबा मुझ अप्रार्थी नं. 01 को मुताबिक वसीयतनामा प्राप्त हुआ है इसलिये जैर प्रकरण रकबा पैतृक सम्पति का रकबा नही है इसके साथ फार्म नं. 03 के साथ चक 10 एफ.डी.एम के इंतकाल संख्या 301 की प्रति पेश की जिससे पूर्णतया साबित है कि जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी नं. 01 को मुताबिक वसीयतनामा प्राप्त हुआ है इस बाबत वकील अप्रार्थी नं. 01 के अधिवक्ता ने हिन्दू विधि की धारा 06 का हवाला देते हुए कहा कि जो सम्पति वसीयत या दान से किसी खातेदार को प्राप्त होती है तो वो उसकी स्वअर्जित सम्पति है। इसलिये जैर प्रकरण रकबा पैतृक सम्पति की परिभाषा में नही आता है खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। उपरोक्त बहस पर मनन किया एंव साक्ष्य एंव सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी नं. 01 को प्राप्त सम्पति मुताबिक वसीयतनामा से प्राप्त हुई है जो इंतकाल 301 से साबित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे साबित हो कि जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी नं. 01 को विरासतन में प्राप्त हुआ हैं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है तथा ना पूरा होने वाला साबित नही है बशर्ते मौका पर अप्रार्थी नं. 01 खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.ए. निरस्त किया जाता है व पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2023 को निरस्त किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	